

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून
वनादेश सं० 65 / 1-13 **देहरादून दिनांक, 19 जनवरी, 2022**

पदोन्नति/तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं० 55/1-12(29) एच०आर०डी० दिनांक 05-01-2022 से पात्रता में शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1185/1-12 दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 10-01-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्रीमती बालमदेई	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून
2	श्री खुशनूद अहमद	निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून

नोट- कार्मिक कोरोना काल एवं विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत अपने तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देंगे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, अपने अधिनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो चुनाव आचार संहिता के पश्चात अलग से तैनाती आदेश करेंगे।

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. शासनादेश सं० 206/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी०सी० दिनांक 31-08-2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 19(2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 30-06-2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिन कार्मिकों ने अपने सेवाकाल के आधे भाग की सेवा दुर्गम स्थान पर नहीं की गयी है तथा अधिनियम की धारा-7 खण्ड 'घ' से आचछादित नहीं हैं और उन्हें सुगम से सुगम स्थान में तैनाती दे दी गयी नियंत्रक अधिकारी द्वारा उनकी पदोन्नति तभी स्वीकार की जाय जब वह इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार दुर्गम स्थल की सेवा पूर्ण करने हेतु उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति उपरान्त तैनाती दुर्गम स्थल में होने पर वह कोई अपत्ति नहीं करेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा उक्त बंधक पत्र नहीं दिया जाता तो उनसे दुर्गम क्षेत्र में तैनाती का विकल्प प्राप्त कर इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि कार्मिक का तैनाती आदेश संशोधित किया जा सके।

3. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं० 1264 (1)/1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मु०व०सं०, निगरानी, मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ITC
वेबसाईट का अपलोड करे।
cef
20/1/22

Rind